



2026:AHC: 58174

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 5193/2026

फारुख

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : उमैंद्र प्रताप सिंह, विकास शर्मा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सिंह, राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान एजीए को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि उसे मुकदमा अपराध संख्या 641/2025, उत्तर प्रदेश गिराहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के अंतर्गत, थाना मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद में पंजीकृत वाद में विचारण के लम्बित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे किसी अन्य उद्देश्य से इस वाद में असत्य रूप से फँसाया गया है। गैंग-चार्ट में उल्लिखित आपराधिक इतिहास को जमानत प्रार्थना-पत्र के समर्थन में दाखिल शपथ-पत्र में स्पष्ट किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक को गैंग-चार्ट में वर्णित समस्त वादों में पहले से ही जमानत प्रदान की जा चुकी है।

यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक किसी गैंग का सदस्य, नेता अथवा संगठनकर्ता नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (बी) में उल्लिखित किसी गैंग की गतिविधियों में न तो दुष्प्रेरण किया है और न ही किसी प्रकार की सहायता प्रदान की है। उपर्युक्त वाद के अतिरिक्त आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से फरार होने अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ किए जाने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो दिनांक 03.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है, यह वचन देता है कि यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है तो वह उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी कहा गया है कि न्यायालय में लम्बित वादों की अत्यधिक संख्या के कारण विचारण के शीघ्र निस्तारण की कोई संभावना नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2020 (11) एस सी सी 648** के वाद में पारित निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध अनेक आपराधिक वादों का लम्बित होना मात्र जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता।

इसके विपरीत, विद्वान एजीए आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध नहीं कर सके और गैंग-चार्ट में दर्शाए गए वाद के अतिरिक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उल्लिखित वादों के अलावा कोई अन्य वाद भी इंगित नहीं कर सके।

तथ्यों की समग्रता, प्रकृति एवं अभिलेख से प्रतिबिम्बित साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को भी दृष्टिगत रखते हुए, बिना वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

आवेदक **फारूख** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए –

(i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे उसे न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष उन तथ्यों को प्रकट करने से विरत किया जा सके अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर कोई दबाव नहीं डालेगा और न ही उन्हें भयभीत करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक विचारण न्यायालय में निम्नलिखित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहेगा – (i) वाद प्रारंभ होने पर, (ii) आरोप-विरचित करने, तथा (iii) बयान अभिलिखित किए जाने।

(iv) आवेदक यह वचन-पत्र दाखिल करेगा कि जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, तब साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर वह कोई स्थगन नहीं माँगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर या तो स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत प्रार्थना-पत्र के निर्धारण तक सीमित है और इसे किसी भी प्रकार से वाद के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना, पूर्णतः स्वतंत्र रूप से अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए स्वतंत्र होगा।

20 मार्च, 2026

पी.के.एस

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)